समर्थ नारी समर्थ भारत (रजि–)

कार्यलयः– 28/ हनुमान नगर, न्यू पुनाईचक, पटना, 23

माया श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सह संयोजिका (प्रभारी बिहार,बंगाल, झारखंड) मो0 9955239913

पत्रांक .... दिनांक 01/12/23

प्रतिष्ठा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार, पटना।

विषय :– **कोशी प्रमंडल के मुख्यालय सहरसा के वार्ड संख्या 11 नया बाजार में एक अविवाहित 24 वर्षीय बालिका के साथ दिनदहाड़े मार पीट एवं उसकी अस्मिता लूटने का प्रयास करने के संबंध में।**

कोशी प्रमंडल के मुख्यालय सहरसा में विगत 14 नवंबर 2023 को वार्ड संख्या 11 के निवासी स्व0 लक्ष्मी सिन्हा की अविवाहित पुत्री सुश्री स्वाति आभा को दिनदहाड़े सरक पर पिटाई कर उसकी आबरू लूटने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। यह भी पता चला है कि इस मामले में स्थानीय थाना द्वारा दिनांक 14 नवंबर को न ही प्राथमिकी दर्ज की गई और न ही साइट भेरीफिकेसन किया गया। दूसरे दिन स्थानीय समाजिक संगठनों के दवाब में आ कर सदर थाना, सहरसा में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसका केस संख्या 819/2023 है, परंतु आज लगभग 15 दिनों बाद भी स्थानीय सदर थाना द्वारा कोई कार्रवाई नही किया गया है, जो की इस मामले में स्थानीय थाना की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मामले में स्थानीय समाजिक कार्यकर्ता द्वारा स्थानीय पुलिस अधीक्षक एवं राज्य के डी. जी. पी. को भी पत्र लिखे जाने के बाद डी. जी. पी. द्वारा सहरसा पुलिस अधीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहरसा थाना को वाटसेप के माध्यम से मामले पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किए जाने के बावजूद अब तक स्थानीय थाना द्वारा कोई कार्रवाई तो नही ही की गई है, अलबत्ता थाना द्वारा सुश्री आभा को केस शीघ्र उठाने की धमकी दी जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभियुक्त या तो बहुत पैसे वाला है या उस पर किसी बड़े और दबंग राजनीतिज्ञ का हाथ है, तभी तो डी. जी. पी. के निर्देश के बावजूद भी अब तक पीड़िता को न्याय देने में स्थानीय पुलिस विभाग असमर्थ हो रही है।

अतः आपसे आग्रह है कि शीघ्र अभियुक्तों पर कारवाई करने के साथ साथ स्थानीय सदर थाने पर भी कारवाई करने का आदेश दिया जाय जिससे पीड़िता को न्याय मिल सके।

विश्वासभाजन

माया श्रीवास्तव

(माया श्रीवास्तव)

ज्ञापांक :   दिनांक : 01/12/23

प्रतिलिपि :

1. सदर थाना, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. जिला अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. आरक्षी अधिक्षक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. पुलिप महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. महिला आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आग्रह है कि अपने संज्ञान में लेते हुये उचित कानुनी कार्रवाई की जाए।

माया श्रीवास्तव

(माया श्रीवास्तव)